

भारत सरकार
विद्युत मंत्रालय

....

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-4454
दिनांक 27 मार्च, 2025 को उत्तरार्थ

बिजनौर और मुरादाबाद में विद्युतीकरण

4454. श्रीमती रुचि वीरा:

क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मुरादाबाद और बिजनौर जिलों में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत गांवों की संख्या का व्यौरा क्या है;

(ख) इस योजना के अंतर्गत अभी भी वंचित गांवों और बस्तियों की संख्या का व्यौरा क्या है और उनके पूर्ण विद्युतीकरण के लिए लक्षित समय-सीमा क्या है;

(ग) मुरादाबाद और बिजनौर जिलों में गांवों के विद्युतीकरण के लिए स्वीकृत और जारी की गई धनराशि का व्यौरा क्या है और इस कार्य के लिए कौन-कौन सी एजेंसियां नियुक्त की गई और इसके रखरखाव पर कितनी राशि खर्च की गई है; और

(घ) मुरादाबाद और बिजनौर जिलों में 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदमों का व्यौरा क्या है और उक्त जिलों में बिजली आपूर्ति के वर्तमान घंटे, भार और विद्युत की आवश्यकता क्या है?

उत्तर

विद्युत राज्य मंत्री

(श्री श्रीपाद नाईक)

(क) और (ख) : भारत सरकार (जीओआई) ने वर्ष 2014 में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) शुरू की। राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, देश के सभी गैर-विद्युतीकृत संगणना गांवों को दिनांक 28 अप्रैल, 2018 तक विद्युतीकरण किया जा चुका है। डीडीयूजीजेवाई के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तर पर कुल 18,374 गांवों का विद्युतीकरण किया गया, जिनमें मुरादाबाद के 12 गांव और बिजनौर जिले के 256 गांव शामिल हैं। पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (पीवीवीएनएल), उत्तर प्रदेश द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, मुरादाबाद और बिजनौर जिलों में कोई भी गांव इस स्कीम से वंचित नहीं है। दिनांक 31.03.2022 को यह स्कीम बंद हो चुकी है।

(ग) और (घ) : डीडीयूजीजेवाई स्कीम के अंतर्गत मुरादाबाद और बिजनौर जिलों में संस्वीकृत और उपयोग की गई निधि का विवरण निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपये में)

जिले	संस्वीकृत परियोजना लागत	परियोजना समापन राशि	भारत सरकार द्वारा जारी अनुदान	एजेंसी
मुरादाबाद	284.58	247.77	198.09	1. मैसर्स आईएलएंडएफएस 2. मैसर्स कोस्मिक इंटरप्राइजेज
बिजनौर	449.31	412.03	314.72	1. मैसर्स विश्वनाथ 2. मैसर्स सत्य साई 3. मैसर्स जीनस

विद्युत एक समर्वर्ती विषय है और राज्यों में वितरण परिसंपत्तियों के रखरखाव सहित विद्युत वितरण का कार्य सामान्यतः राज्य वितरण यूटिलिटी द्वारा किया जाता है, जैसा संबंधित राज्य विद्युत विनियामक आयोगों (एसईआरसी) द्वारा विनियमित किया जाता है तथा यह कार्य राज्य विद्युत विभागों के संपूर्ण पर्यवेक्षण में होता है। तदनुसार, अनुरक्षण कार्यों से संबंधित विवरण का रखरखाव भारत सरकार द्वारा नहीं किया जाता है।

भारत सरकार ने वितरण यूटिलिटी को प्रचालन दक्ष और वित्तीय रूप से व्यवहार्य वितरण क्षेत्र के माध्यम से विद्युत की आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार करने में मदद करने के लिए संशोधित वितरण क्षेत्र स्कीम (आरडीएसएस) शुरू की। स्कीम के अंतर्गत हानि कम करने वाली अवसंरचना और स्मार्ट मीटरिंग कार्यों के लिए परियोजनाओं को संस्वीकृति दी गई है। आरडीएसएस के अंतर्गत संस्वीकृति जिला-वार दी गई, जबकि निधि संवितरण दिशानिर्देश के अनुसार डिस्कॉम-वार जारी किया जाता है।

मुरादाबाद और बिजनौर जिले पीवीवीएनएल डिस्कॉम के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।

आरडीएसएस के अंतर्गत मुरादाबाद और बिजनौर जिले में संस्वीकृत राशि तथा पीवीवीएनएल द्वारा जारी और उपयोग की गई राशि तथा उपयोग का व्यौरा निम्नानुसार है:

(करोड़ रूपये में)

जिला	संस्वीकृत लागत	जीबीएस संस्वीकृत	पीवीवीएनएल को भारत सरकार द्वारा जारी	उपयोग निधि
मुरादाबाद	679.07	280.11	380.86	844.32
बिजनौर	847.53	226.64		

बिजनौर और मुरादाबाद जिले में आरडीएसएस कार्य के लिए एजेंसियां निम्नानुसार हैं:

जिला	स्मार्ट मीटरिंग	हानि में कमी
मुरादाबाद	इंटेली स्मार्ट	एनसीसी लिमिटेड
बिजनौर	इंटेली स्मार्ट	एनसीसी लिमिटेड

विद्युत (उपभोक्ता अधिकार) नियम, 2020 के नियम (10) के अनुसार, वितरण लाइसेंसधारी सभी उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत की आपूर्ति करेगा। हालाँकि, आयोग कृषि जैसे उपभोक्ताओं की कुछ श्रेणियों के लिए आपूर्ति के कम घंटे निर्दिष्ट कर सकता है। ये नियम सभी राज्यों और शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों के लिए लागू हैं।

राष्ट्रीय फीडर मॉनिटरिंग प्रणाली के अनुसार आरईसी पावर डेवलपमेंट कंसल्टेंसी लिमिटेड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मुरादाबाद और बिजनौर जिलों के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:

जिला	विद्युत आपूर्ति के घंटे	
	शहरी	ग्रामीण
मुरादाबाद	23.06 घंटे	21.15 घंटे
बिजनौर	22.22 घंटे	20.12 घंटे
